राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर
वित्त भवन, ए–ब्लॉक, ज्योति नगर जनपथ, जयपुर–302005
(दूरभाष नं0:– 0141–2740837, फैक्स 0141–2742309, ई–मेल:– jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक : एफ.4(ई)(वि. 2475 / 2013) / अलेसे–II / 324 दिनांक :– 20-8-25

कार्यालय आदेश

जिला कलक्टर बारां के ज्ञापन पत्र राजकाज रेफरेन्स नं. 14958847 दिनांक 27.04.2025 द्वारा श्री विकास पंकज, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II पदस्थापन कार्यालय अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा बारां को प्रदान अतिरिक्त कार्यभार पंचायत समिति, शाहबाद का कार्यग्रहण नहीं करने के फलस्वरूप सी.सी.ए नियम 16 के अन्तर्गत आरोप–पत्र जारी किया गया है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बांरा के पत्र राजकाज रेफरेन्स नं. 16219236 दिनांक 01.07.2025 द्वारा श्री विकास पंकज को दिए गए पंचायत समिति शाहबाद के अतिरिक्त कार्यभार–आदेश एवं आरोप–पत्र अनुमोदन हेतु प्रस्ताव निदेशालय को प्रेषित किए गए। **विभागीय पत्रांक 169–170 दिनांक 28.07.2025 द्वारा जिला कलक्टर बारां को सूचित किया गया कि श्री विकास पंकज को पंचायत समिति शाहबाद का प्रदान किया गया अतिरिक्त कार्यभार–आदेश राजस्थान सेवा नियम भाग द्वितीय के अनुसूची IX के क्रम संख्या 15 एवं विभागीय परिपत्र दिनांक 30.03.2022 के अनुकूल नहीं होने के कारण अनुमोदन किया जाना उचित नहीं हैं फलस्वरूप श्री विकास पंकज को सी.सी.ए. नियम 16 के अन्तर्गत प्रेषित आरोप–पत्र सी.सी.ए. नियम 19ख2(ii) के अनुसार विधि अनुकूल नहीं है।**

अतः श्री विकास पंकज, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड द्वितीय को जिला कलक्टर बांरा द्वारा प्रदान अतिरिक्त कार्यभार आदेश–पत्र राजकाज रेफरेन्स नं. 13213407 दिनांक 26.01.2025 तथा जारी ज्ञापन मय आरोप–पत्र (सी.सी.ए. नियम 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत) रेफरेन्स नं. 14958847 दिनांक 27.04.2025, राजस्थान सिविल सेवाएँ (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 19ख2(ii) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप नहीं होने के कारण एतदद्वारा अपास्त किये जाते हैं।

(बृजेश किशोर शर्मा)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:– एफ.4(ई)(वी–2475 / 2013) / अलेसे–II / 324 दिनांक :– 20-8-25

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत हैः–

1. संयुक्त शासन सचिव वित्त (राजस्व) विभाग शासन सचिवालय जयपुर।
2. जिला कलक्टर बारां।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद बारां।
4. श्री विकास पंकज, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–II का कार्यालय अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा बारां।
5. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक महोदय।
6. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

(सीमा कौशल)
संयुक्त निदेशक (कार्मिक II / III)

D:\NEHA\SAS-II\USHA JI\ORDER 15 NEW REPAIRED.DOCX :- 352